रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249350
CG-DL-E-12102023-249350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945
No. 582]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

सं. 10/2023-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 735(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से आयातित "70 ली काउंट से कम वाले फ्लैक्स यार्न" (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्षों 5306 10 अथवा 5306 20 के अंतर्गत आता है के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अक्तूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1044 (अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/03/2023-डीजीटीआर, दिनांक 31 मार्च, 2023, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जबकि उक्त विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित, विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/03/2023-डीजीटीआर, दिनांक 16 जुलाई, 2023, जिसे दिनांक 17 जुलाई, 2023, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) यदि लागू प्रतिपाटन शुल्क को इस स्तर पर समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो भंडारण और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है:

(ii) संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि विषय देश से भारत के अलावा तीसरे देशों में विषय वस्तुओं का महत्वपूर्ण निर्यात अधिक और कम कीमतों पर है;

(iii) भारत में निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य आकर्षण है क्योंकि तीसरे देशों की कीमत भारत की कीमत से कम है;

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), संख्या 53/2018- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के अधिक्रमण में जिसे सा.का.नि. संख्या 1044(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, केंद्र सरकार एतद्वारा नामित प्राधिकारी के उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद विषयगत वस्तुओं पर अधिरोपित करती है, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ उप-शीर्षों के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से निर्यातित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित हैं, और भारत में आयातित है पर उक्त सारणी के कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ उप-शीर्षों	वस्तुओं का विवरण	मूलत: उत्पादन करने वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक/ निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	5306 10, 5306 20	70 ली काउंट से कम (या 42 एनएम से कम) वाले फ्लैक्स यार्न	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी	जियांगसु जिंयुआन फ्लैक्स कं.लि./ झेझियांग जिंगयुआन फ्लैक्स कं.लि. झेजियांग किंगडम लाइनेन कं.लि	2.42	यू.एस.डी/के.जी.
2.	5306 10, 5306 20	70 ली काउंट से कम (या 42 एनएम से कम) वाले फ्लैक्स यार्न	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी	यिक्सिंग सनसाइन लाइनेन टेक्सटाईल कं.लि.	2.29	यू.एस.डी/के.जी.

3.	5306 10, 5306 20	70 ली काउंट से कम (या 42 एनएम से कम) वाले फ्लैक्स यार्न	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी	क्रम संख्या 1-2 के उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई	4.83	यू.एस.डी/के.जी.

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्ययों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख़ होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/194/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

No. 10/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 735(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/03/2023-DGTR, dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st March, 2023, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “flax yarn of below 70 lea count” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Sub-headings 5306 10 or 5306 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) initially imposed, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2018-Customs (ADD), dated the 18th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1044(E), dated the 18th October, 2018;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published, *vide* notification No. 7/03/2023-DGTR, dated the 16th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 17th July, 2023, has come to the conclusion that,-

(i) there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;

(ii) the likelihood analysis shows that significant exports of the subject goods from the subject country to third countries other than India are at dumped and injurious prices;

(iii) there is significant price attractiveness to make exports to India as price to third countries are below the price to India;

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2018-Customs (ADD), dated the 18th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1044(E), dated the 18th October, 2018, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Tariff Item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entries in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entries in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entries in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entries in column (7), in the unit as specified in the corresponding entries in column (8), namely :-

TABLE

S. No.	**Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer/ exporter**	**Duty Amount**	**Unit**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	530610, 530620	Flax Yarn of below 70 Lea Count (or below 42 nm)	China PR	Any including China PR	Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd./ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd.,/ Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd.	2.42	USD/KG
2.	530610, 530620	Flax Yarn of below 70 Lea Count (or below 42 nm)	China PR	Any including China PR	Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd.	2.29	USD/KG
3.	530610, 530620	Flax Yarn of below 70 Lea Count (or below 42 nm)	China PR	Any including China PR	Any other than the producers at Sl. No. 1-2	4.83	USD/KG

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/194/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.12 20:49:29 +05'30'